बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो० –20 / 15(सांख्यिकी)– 2114 / कृ0, पटना, दिनांक 07-मई, 2015

स्वीकृत्यादेश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1 / प्रा०आ०–0–3–23 / 15–16(सा०अनु०) / आ० प्र० दिनांक 30.04.2015 से प्राप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, 'उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान(क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड–N2245021140001 में से कुल 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र को पटना, कैमूर, अरवल, शेखपुरा एवं गोपालगंज जिला को कर्णांकित किया जाता है :–

राशि : लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अधियाचित राशि	पत्रांक 1993 दिनांक 27.04.15 के द्वारा कर्णांकित राशि	वर्तमान में कर्णांकित राशि	कुल कर्णांकित राशि
1	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	2430.79	787.70	500.00	1287.70
2	कैमूर (भभुआ)	जिला पदाधिकारी, भभुआ	460.37	117.02	343.35	460.37
3	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	24.12	16.73	7.39	24.12
4	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	1342.86	344.74	200.00	544.74
5	गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	9907.79	0.0	449.26	449.26
	कुल		**14165.93**	**1266.19**	**1500.00**	**2766.19**

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001– कृषि इनपुट अनुदान(क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) माँग संख्या – 39 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा विपत्र कोड N2245021140001 के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक–ब–17 / आपदा–बी0सी0एफ0–67 / 2015 दिनांक 26.04.2015 तथा आपदा प्रबंधन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–45 / आ0प्र0 दिनांक 26.04.2015 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।
3. राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 06.05.2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मार्च / अप्रैल 2015 में ओलावृष्टि से 38 जिलों में हुई क्षतिग्रस्त फसलों के लिए SDRF के मानदर के अनुरूप किसानों को देय कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। शेष राशि इस आवंटन का 75% व्यय हो जाने के उपरांत आवंटित की जाएगी। अनुरोध है कि प्रभावित कृषकों को आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक 1388 / आ० प्र० दिनांक 24.07.2004 द्वारा गठित अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देखरेख में RTGS/Cheque(account payee) के माध्यम से राशि का भुगतान कराया जाय तथा लाभुकों की सूची जिला के बेवसाइट पर प्रकाशित करायी जाय। SDRF का मानदर जो भारत सरकार के पत्रांक 32–7 / 2014–NDM–i दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत है, को आपदा प्रबंधन विभाग के बेवसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
4. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए० सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी० सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2016 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
6. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, त 15.03.2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष – लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का गुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रूटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से ''8000–आकस्मिकता निधि'' अंकित कराया जाय।**
9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
10. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।
11. अनुरोध है कि उपआवंटित की गई राशि, संबंधित कोषागार तथा डी0 डी0 ओ0 कोड अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय ताकि सी0 टी0 एम0 आई0 एस0 माध्यम से आवंटन को ऑन लाइन प्रविष्टि किया जा सके।

विश्वासभाजन
(ह0) 07/5/15
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 2114 /कृ0, पटना, दिनांक 07 मई, 2015

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 07/5/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 2114 /कृ0, पटना, दिनांक 07 मई, 2015

प्रतिलिपि : निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना, कैमूर, अरवल, शेखपुरा एवं गोपालगंज/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध, सारण एवं मुंगेर/जिला के प्रभारी सचिव, पटना, कैमूर, अरवल, शेखपुरा एवं गोपालगंज /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 07/5/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या 2114 /कृ0, पटना, दिनांक 07 मई, 2015

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक(शष्य), पटना, मगध, सारण एवं मुंगेर परिक्षेत्र/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना, कैमूर, अरवल, शेखपुरा एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 07/5/10
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 2114 /कृ0, पटना, दिनांक 07 मई, 2015

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, पी० पी० एम०/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 07/5/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 2114 /कृ0, पटना, दिनांक 07 मई, 2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 07/5/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।